

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3128

06 अगस्त, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर  
गैर-संचारी रोगों के कारण मौतों में वृद्धि

3128. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लांसेट ग्लोबल हेल्थ ने कई अन्य संगठनों के सहयोग से 2019 में भारत में स्ट्रोक से हुई सात लाख मौतों को दर्शाने वाला एक पेपर प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोविड-49 से होने वाली मौतों के मद्देनजर गैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतों को छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाह्य रोगी विभागों के गैर-संचालन और सर्जरी स्थगित करने के कारण गैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतों में कई गुना वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर देश में गैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क): आईसीएमआर द्वारा लैसेट 2020-21 में "भारत के सभी राज्यों में न्यूरोलोजिकल विकारों का भार: रोगों का वैश्विक भार अध्ययन- 1990-2019" नामक एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में देश में अभिघात के कारण 6.99 लाख मौतें हुई।

(ख) से (घ): गैर संचारी रोगों से ग्रस्त रोगी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर उपचार प्राप्त कर रहे हैं जिनमें जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे केंद्रीय संस्थान तथा निजी क्षेत्र के अस्पताल शामिल हैं। सर्जरी सहित उपचार के लिए पंजीकृत रोगियों से संबंधित प्रासंगिक डेटा संबंधित संस्थानों एवं अस्पतालों द्वारा अपने निजी स्तर पर रखा जाता है।

मौत संबंधी आकड़े महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय (ओआरजीआई) द्वारा रखे जाते हैं।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उनके समग्र संसाधनों के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह,

हृदवाहिका रोग एवं आघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों के उपचार के लिए रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रबंधन और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों के उपयुक्त स्तर पर रेफरल के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन को विकसित करने, स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

सामान्य गैर-संचारी रोगों अर्थात् मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसरों नामतः मुख, स्तन और गर्भाशय कैंसर की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या स्तर की पहल को एनएचएम के तहत और आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र के अंतर्गत एक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में देश में शुरू किया गया है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सामान्य एनपीसीडी की जांच के लिए लक्षित किया गया है।

एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत सामान्य एनपीसीडी के उपचार को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर 640 एनपीसीडी क्लिनिकों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर 5148 क्लिनिकों की स्थापना की जा चुकी हैं।

गैर संचारी रोगों वाले रोगियों की जांच विभिन्न तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों जैसे मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे केंद्रीय संस्थान आदि में की जाती है और उनका उपचार किया जाता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर या तो निःशुल्क अथवा अत्यधिक रियायत पर उपचार प्रदान किया जाता है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटाबेस के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत 10.74 करोड़ पात्र परिवारों के लिए आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य कल्याण योजना (पीएमजेएवाई) के अधीन अंतः रोगी परिचर्या हेतु उपचार भी उपलब्ध है।

एनएचएम की निःशुल्क औषधि सेवा पहल के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अनिवार्य औषधियों की निःशुल्क व्यवस्था के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाईयां रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

कोविड- 19 महामारी के दौरान एनपीसीडी के प्रबंधन के लिए गैर कोविड अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता की जरूरत पर बल देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय- समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिशा- निर्देश एवं परामर्शिकाएं भेजी गईं।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भी सलाह दी गई की एनपीसीडी ग्रस्त रोगियों की पहचान करने और उन्हें स्वास्थ्य निगरानी में रखने के लिए कंटेनमेंट संबंधी क्रियाकलापों के दौरान जनसंख्या आधारित जांच (पीबीएस) डेटा का उपयोग करें।